उत्तर प्रदेश शासन

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1

संख्या- 11/2016/1186/62-1-2016-16जीडब्लू/2015

लखनऊ / दिनांक 30 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 22/2015/912/62-1-2015-16जीडब्लू/2015, दिनांक 06-11-2015 के क्रम में लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनु0-1 के शासनादेश संख्या-10/2016/975/62-1-2016-16जीडब्लू/15, दिनांक 29-08-2016 द्वारा सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट के 02 नि;संवर्गीय अस्थाई पद सृजन के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भूगर्भ जल विभाग में सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट के पद के समस्त कार्यों के साथ-साथ मा0 मुख्य मंत्री जी की महत्वाकांक्षी ''मुख्य मंत्री जल बचाओ अभियान योजना'' के क्रियान्वयन हेतु उक्त नि;संवर्गीय अस्थाई पदों पर वेतन बैण्ड-3, रू015600-39100, ग्रेड वेतन रू0 6600/- में श्री एन0सी0 सक्सेना एवं श्री एच0आर0आजमी, सेवानिवृत सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्टगण को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 माह की अवधि हेतु निम्नलिखित सेवा शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुन: पुनर्योजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते हैं;-

(1) पुनर्योजन की अवधि में श्री एन0सी0 सक्सेना एवं श्री एच0आर0 आजमी को अस्थाई सरकारी सेवक माना जायेगा।

(2) श्री एन0सी0 सक्सेना एवं श्री एच0आर0 आजमी को पुनर्योजन की अवधि में प्रतिमाह वही नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन मे से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने के बाद आये अथवा पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, इसमें जो भी कम हो, से अधिक न होगा। पुनर्योजन की अवधि में उन्हें शुद्ध वेतन तथा शुद्ध पेंशन के योग पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा। पुनर्योजन की अवधि में पेंशन पर पृथक से मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।

(3) श्री सक्सेना एवं श्री आजमी को उक्त अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के सहायक नियम 157 ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थाई अधिकारियों की भॉति अवकाश देय होगा परन्तु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश का नगदीकरण अनुमन्य नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उक्त अवधि की गणना पेंशन के लिए नहीं की जायेगी तथा पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में श्री एन0सी0 सक्सेना एवं श्री एच0आर0 आजमी को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे।

(6) श्री सक्सेना एवं श्री आजमी को उक्त अवधि में अस्थाई तदर्थ पेंशन की वृद्धि व राहत यदि कोई हो, अनुमन्य नहीं होगी।

(7) उक्त नि:संवर्गीय पद की प्रास्थिति सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट पद के समकक्ष होगी और श्री सक्सेना एवं श्री आजमी को वही सुविधायें अनुमन्य होंगी जो उन्हें सेवानिवृत्त के समय अनुमन्य थी। पुनर्योजित अधिकारियों से प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने हेतु आहरण एवं वितरण संबंधी कार्य न लिया जाय।

(8) उपर्युक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोनेत्तर-02-भूजल-005-अन्वेषण-03-भूगर्भजल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढीकरण योजना'' के अधीन सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

(9) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-693(1)/दस-2016 , दिनांक 09-8-2016 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

रेणुका कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- 11 /2016/1186(1)/62-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निदेशक,भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0, लखनऊ ।
5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, लखनऊ ।
6- अधीक्षण अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, मण्डल-प्रथम, बरेली।
7- संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, मण्डल- द्वितीय, इलाहाबाद।
8- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2 एवं वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9- सम्बन्धित अधिकारियों को ।
10- कोषाधिकारी, लखनऊ / देवीपाटन (गोण्डा)/बरेली ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम नारायण अहिरवार)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in